न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–50 सन् 2020

बिसर राय वगैरह.......................वादीगण।

बनाम

भिखम राय वो अन्य ....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 06.06.2023

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 22.06.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि इस वाद के तकरारी एराजी मद नं0 01 अर्जीनालिश जिसका विवरण आवेदन के अंत में दी जाती है। उसके वास्तविक स्वरूप न्यायहित में न्यायालय के समक्ष आना जरूरी है। अतः निवेदन है कि इस वाद के तकरारी भूमि की जांच कर उसे वास्तविक स्वरूप के संदर्भ में आवेदन में लिखित बिन्दुओं पर अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्त कर जांच प्रतिवेदन की मांग की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया हैं।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर तकरारी एराजी का वर्तमान स्वरूप को अभिलेख पर लाने हेतु दाखिल किया है। वादी का आवेदन में कथन है कि तकरारी एराजी मद नं0 01 अर्जीनालिश के भूमि का वर्तमान वास्तविक स्वरूप न्यायालय के समक्ष आना जरूरी है। ऐसी परिस्थिति में तकरारी एराजी का वर्तमान भौतिक स्वरूप अभिलेख पर आना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन दिनांक 22.06.2021 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त शुल्क 3000/–रूपये नजारत में जमा करें। अधिवक्ता आयुक्त के रूप में श्री अरविन्द कुमार सिंह को नियुक्त किया जाता है।

वाद दिनांक....................को सुनवाई हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।